प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

21 दिसम्बर 2022

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन की भारतीय रेल में ट्रेनों के पटरी से उतरने पर संसद में प्रस्तुत

संघ सरकार (रेलवे) की "भारतीय रेल में ट्रेनों के पटरी से उतरने" के विषय पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट संख्या 22 को आज संसद मे प्रस्तुत किया गया।

उस रिपोर्ट में पटरी से उतरने से रोकने के लिए ट्रैक का निरीक्षण और रखरखाव, पटरी से उतरने/टकराव की जांच और निवारक सिफारिशों के कार्यान्वयन, ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) फंड का उपयोग आदि जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा है कि-

- ट्रैक रिकॉर्डिंग कारों के निरीक्षण में 30-100 प्रतिशत तक की कमी थी। संचालन विभाग द्वारा आवश्यक ट्रैफिक ब्लॉक, डिवीजनों द्वारा नियोजित ब्लॉकों, परिचालन समस्याओं आदि के अभाव में ट्रैक मशीनें बेकार पड़ी रहीं।

पैरा 2.2 और 2.4.1

- पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं की 'जांच रिपोर्ट' के विश्लेषण से पता चला है कि पटरी से उतरने के लिए मुख्य रूप से 24 कारक जिम्मेदार थे। इन मामलों में संपत्ति की कुल क्षति/हानि ₹ 32.96 करोड़ बताई गई है।

पैरा 3.2.2

- 'इंजीनियरिंग विभाग', 'ऑपरेटिंग विभाग' और 'मैकेनिकल विभाग' में क्रमश: 422, 275 और 182 डिरेलमेंट हुए। पटरी से उतरने के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक 'ट्रैक का रखरखाव', 'अनुमेय सीमा से परे ट्रैक मापदंडों का विचलन, बिंदुओं की गलत सेटिंग', 'पहिया व्यास

भिन्नता और कोचों/वैगनों में दोष आदि से संबन्धित थे।

पैरा 3.3.1

- 540 मामलों (63 प्रतिशत) में 'जांच रिपोर्ट' निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकार करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई। 421 मामलों (49 प्रतिशत) रिपोर्टों को स्वीकृति करने मे स्वीकरण प्राधिकारियों से भी देरी हुई थी।

पैरा 3.4.1

- 2017-20 के दौरान ट्रैक नवीनीकरण कार्यों और राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) से उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर व्यय लिए निधियो के आवंटन मे गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है। ट्रैक नवीनीकरण कार्यों के लिए आवंटित धन का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था। ₹ 48.21 करोड़ व्यय की आरआरएसके को गलत बुकिंग थी। 2017-21 के दौरान 1127 पटरी से उतरने के मामले हुए जिस में से 289 मामले पटरी से उतरने (26 प्रतिशत) ट्रैक नवीनीकरण से संबन्धित थे। **पैरा 4.3 और 4.4**

- रेलवे पर स्थायी समिति (2016-17) ने पाया गया कि "ट्रैक को सुरक्षित और सही स्थिति में बनाए रखने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी देखा कि ट्रैक नवीकरण के लिए रखे गए लक्ष्य बुनियादी वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं हैं। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-2020 के दौरान पूर्ण ट्रैक नवीनीकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। रेलवे कर्मचारियों की विफलता के कारण दुर्घटनाओं की बढ़ती प्रवृत्ति पर स्थायी समिति की टिप्पणी के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-21 के दौरान एसपीएडी (सिग्नल पासिंग एट डेंजर) के 128 मामले थे।

पैरा 6.2 और 6.2.2

- उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय रेलवे में 20471 मानवयुक्त समपार (एमएलसी) थे। इनमें से केवल 2908 एमएलसी (नौ प्रतिशत) को 2018-21 के दौरान समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 2908 एमएलसी में से 2059 एमएलसी (70 प्रतिशत) को समपारों को ही समाप्त किया गया

पैरा 6.3.1